



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238481
CG-DL-E-31082022-238481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944

No. 594]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2022

सं. 45/2022-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 670(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क, तारीख 23 दिसंबर, 2010 जो संख्यांक सा.का.नि. 1008(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित की गयी थी, में निम्नलिखित और संसोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

- (i) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (ii) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(3)

“(i) अमेरिकन एयरलाइन्स
(ii) यूनाइटेड एयरलाइन्स”;

- (iv) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (iii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 12 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 13 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (i) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (ii) और (iii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (ii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (i) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 28 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 31 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (i) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 38 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 40 के समक्ष, कॉलम (3) में, आइटम (ii) और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 41 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/87/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 130/2010-सीमाशुल्क, दिनांक 23 दिसंबर, 2010 को सा.का.नि. 1008 (अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2010 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2022

No. 45/2022-Customs

G.S.R. 670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.130/2010-CUSTOMS, dated the 23rd December, 2010, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 1008 (E), dated the 23rd December, 2010, namely: -

In the said notification, in the TABLE –

- (i) against S.No. 1, in Column (3), item (ii) and entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) S.No. 7 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) against S.No. 9, in Column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

(3)
“(i) American Airlines (ii) United Airlines”;

- (iv) against S.No. 10, in Column (3), item (iii) and entries relating thereto shall be omitted;

- (v) S.No. 12 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S.No. 13, in Column (3), item (i) and entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) against S.No. 14, in Column (3), items (ii) and (iii) and entries relating thereto shall be omitted;
- (viii) against S.No. 16, in Column (3), item (ii) and entries relating thereto shall be omitted;
- (ix) against S.No. 18, in Column (3), item (i) and entries relating thereto shall be omitted;
- (x) S.No. 28 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xi) against S.No. 31, in Column (3), item (i) and entries relating thereto shall be omitted;
- (xii) S.No. 38 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiii) against S.No. 40, in Column (3), item (ii) and entries relating thereto shall be omitted;
- (xiv) S.No. 41 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. CBIC-190354/87/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 130/2010-Customs, dated the 23rd December, 2010 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 1008(E), dated the 23rd December, 2010, and was last amended by notification No. 43/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R 778(E), dated the 30th June, 2017.